148/25	पत्रावली पेश हुई। वकील आर्थी उपस्थित। विपक्षी अभिदासी तहसीलदार डूंगला से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए जवाब के दिनांक 28/8/25 को पेश हो। 14/08/25
28/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील आर्थी उपस्थित। आर्थी की ओर से श्री हुकेश जोशी अधिवक्ता ने नाना लाल पिता भानीराम जाट निवासी नंगारखेड़ा के द्वारा विपक्षी अभिदासी तहसीलदार डूंगला के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा के तहत प्रस्तुत कर ग्राम नंगारखेड़ा की आराजी नम्बर 1034 व 1156 में तरमीम शुद्धि हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिसको बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला से जवाब प्राप्त किया गया। तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/748 दिनांक 27-8-2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत कराया कि ग्राम नंगारखेड़ा की आराजी नम्बर 1034 रकबा 1.2400 है जिस्म आबादी दर्ज रेकार्ड है तथा आराजी नम्बर 1156 रकबा 0.3300 है। भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में श्री के लाल पिता फतूलाल 1/3, के लाल, रामचन्द्र, हीरालाल सीमा, मोहनी बाई पिता प्रभु 5/18, मांगी बाई पत्नी प्रभु 1/18, दयाराम पिता भाना 1/3 गैरमेमी सा. हेट के नाम दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान राजस्व नक्शे के अनुसार आराजी नम्बर 1156 की पूर्वी सीमा पर ग्राम की मुख्य आबादी आराजी नम्बर 1034 तथा आराजी नम्बर 1157 में से होते हुए रास्ते के लगी हुई है, जबकि पुराने सेटलमेन्ट के राजस्व नक्शा में आराजी नम्बर 1156 की पूर्वी सीमा ग्राम की मुख्य आराजी नम्बर 1034 से [illegible] समाप्त हो रही है। [illegible] नये नक्शा बनाते समय [illegible] था जबकि उक्त भूमि पर पुराने कच्चे [illegible] बने हुए है। इसलिए आराजी नम्बर 1156 व 1034 में तरमीम शुद्धि करने हेतु प्रस्तावित नक्शा तैयार कर इसी अनुसार वर्तमान राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

सांकेतिक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय संक्षिप्त सार	नम्बर व तारीख आदेशक जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व नक्शा में तरमीम शुद्धि के साथ रिपोर्ट अपनी अभिशंसा के साथ प्रेषित की है। इस पत्रावली का एवं प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर परीक्षण किया गया परीक्षण दौरान पाया गया कि तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम शुद्ध किया जाना न्यायसंगत है। अतः आर्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के प्रावधान अनुसार पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार डूंगला को आदेश दिया जाता है कि मौजा नंगारखेड़ा की आराजी नम्बर 1156 व 1034 की अशुद्ध तरमीम को सुधार राजस्व नक्शा के अनुसार आप द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार शुद्ध किया जाने का आदेश दिया जाता है। आप नियमानुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में शुद्धि की कार्यवाही सम्पादित करें। आदेश निर्णय की प्रमाणित प्रति मय नक्शा ट्रेस के तहसीलदार डूंगला को पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:32:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner